

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
सन् 2023

अपील संख्या 27/23

GCMS NO-2023/195

बउनवानी:- 1. बुद्धि प्रकाश पुत्र अर्जुन मीना निवासी बलरिया तह0 चौथ का बरवाडा

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा
(अपील विरुद्ध तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 548/2023 निर्णय
दिनांक 19.10.2023 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :- 1. श्री अब्दुल बहाव
2. श्री तुलसीराम शर्मा

वकील अपीलान्ट
नायब तहसीलदार.(पैरोकार)

:- निर्णय :-

दिनांक 20.2.2024

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 548/2023 में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2023 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरुद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल किया जाकर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया एवं विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलों में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2080 (खरीफ) मे वाके ग्राम चौथ का बरवाडा ए तहसील चौथ का बरवाडा की भूमि आराजी ख0न0 3960 रकबा 1.50 है0 पर बाजरा की फसल काशत कर अतिक्रमण करने के आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जाँच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्ट का अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जाँच आदेश जेर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जाँच नहीं की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा रंजिशवश प्रस्तुत गलत व झूठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। यह कथन भी किया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के तहत विधिवत नोटिस जारी कर सुनवायी का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया एवं बिना सुने ही न्यायिक सिद्धान्तों के विरुद्ध जाकर अपीलान्ट के विरुद्ध इकतरफा में आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया जिसके कारण अपीलान्ट अपनी प्रतिरक्षा करने के अधिकार से महरूम हो गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त ख0न0 3960 पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। जहाँ तक अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विधि में सुस्थापित है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्व में किसी निर्णय के क्रियान्वयन से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया हो तो उस व्यक्ति को पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा

.....(1).....

(डॉ. खुशात यादव)

जिला कलेक्टर

सवाई माधोपुर



(अपील संख्या 27/2023 उनवानी बुद्धी प्रकाश बनाम सरकार)


सकता। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर अपीलान्ट को कथित प्रश्नगत भूमि पर से पूर्व में बेदखल किया गया हो, इस सम्बन्ध में अदालत मातहत द्वारा लिये गये इकतरफा बयान को विधि अनुरूप नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें अपीलान्ट को पटवार हल्का से जिरह करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय के विपरीत है। अतः आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहाँ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट के नोटिस की अपीलान्ट के पुत्र से करवायी गई तामील से हो जाती है। जिसकी पालना में अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित हुआ है। जिसके आधार पर अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि ख0न0 3960 पर अतिक्रमण नहीं होने बाबत किये गये कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया है तथा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 19.01.2024 के अनुसार ख0न0 3960 कुल रकबा 1.50 है0 पर अपीलान्ट द्वारा वर्तमान में सरसों की फसल काशत कर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट की तलवी हेतु जारी नोटिस की तामील उसके पुत्र से करवायी गयी तामील से होती है क्योंकि नोटिस की तामील रिपोर्ट पर पुत्र का नाम एवं उसकी आयु स्पष्ट अंकित नहीं है। इसलिए उक्त तामील प्रोपर तामील की श्रेणी में नहीं आती है। जहाँ तक अपीलान्ट के पश्चात्पूर्ति अतिक्रमण होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर नहीं की जा सकती है, क्योंकि पत्रावली पर पश्चात्पूर्ति अतिक्रमण से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है इसके अतिरिक्त अपीलान्ट को उक्त भूमि पर से पूर्व में बेदखल किये जाने व फसल कुर्की इत्यादि से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। उपरोक्त विवेचन से यह पाया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है और ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सम्पूर्ण दस्तावेज हमफ्रीता किये गये हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को पुनः सुनवायी हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर आदेश जैर अपील सजा की सीमा तक निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पत्रावली पर पश्चात्पूर्ति अतिक्रमण, बेदखली, फसल कुर्की, पूर्व में पारित निर्णय, पटवारी बयान इत्यादि दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रदर्श करते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर विधिवत निर्णय पारित करे। अपीलान्ट 15 दिवस के अन्दर अपना पक्ष रखने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.2.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ०खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर